कार्यालय नगर पंचायत रेवती, बलिया

पत्रांकः 153(ब)/न0पं0रे0/वर्ष 2015–16 दिनांकः 04 जुलाई 2015

आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत रेवती, बलिया में सफाई एवं अन्य कार्य हेतु कर्मियों की आपूर्ति हेतु इच्छुक पंजीकृत सप्लायर/ठेकेदारों तथा समूहों से दिनांकः 27–07–2015 को अपरान्ह 02 बजे तक कोटेशन/निविदा नगर पंचायत कार्यालय रेवती मे रखे निविदा बाक्स में आमंत्रित किया जाता है। जो उक्त दिनांक को ही अपरान्ह 03.00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपस्थित ठेकेदारों/कोटेशन दाताओं के समक्ष खोला जायेगा। इच्छुक पंजीकृत ठेकेदार/फर्म कोटेशन फार्म दिनांक 25–07–2015 को सायं 5.00 बजे तक कार्यालय नगर पंचायत रेवती से प्राप्त कर सकते है। यह कोटेशन/निविदा जिले की बेवसाइट **www.ballia.nic.in** पर उपलब्ध है।

आपूर्ति किये जाने वाले कार्मिकों का विवरण

क्रमांक	कार्मिक का नाम	संख्या	निविदा फार्म का मूल्य	जमानत धनराषि
1	2	3	4	5
1.	कम्प्यूटर आपरेटर	1	500.00	10,000.00
2	जनरेटर चालक आपरेटर	1		
3	बैको लोडर ड्राईवर	1		
4	टैक्ट्रर ड्राईवर	1		
5	विद्युत लाईन मैन/मिस्त्री	1		
6	विद्युत हेल्पर	2		
7	कार्यालय चौकीदार	1		
8	सफाई कार्मिक	16		

नियम व शर्ते

1. कार्मिको के आपूर्ति एवं कोटेशन सम्बन्धी किसी भी अन्य जानकारी हेतु कार्यालय दिवस में निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व तक सम्पर्क स्थापित कर किया जा सकता है।
2. यह कोटेशन/आपूर्ति मार्च 2016 तक के लिए प्रभावी होगा।
3. धरोहर/जमानत धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ.डी.आर. जो अधिशासी अधिकारी के नाम बन्धक हो व नगद जमा रसीद द्वारा जमा कर कोटेशन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
4. कार्यादेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर कर्मियों/श्रमिकों की आपूर्ति करनी होगी।
5. शासन द्वारा निर्धारित दर से कम मानदेय श्रमिकों/कार्मिकों को देय नही होगा।
6. सेवा प्रदाता का आपूर्ति किये गये श्रमिकों को कार्य के दौरान निरीक्षण में अनुपस्थिति पाये जाने पर आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत बिल से अर्थ दण्ड के रूप में कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
7. सेवा प्रदाता को श्रम विभाग से पंजीयन होने का पंजीयन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. कार्मिको की संख्या आवश्कतानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिना कारण बताये कोटेशन/निविदा निरस्त करने का अधिकारी अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

(कृष्ण कुमार सोनकर)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत रेवती
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत रेवती
बलिया

J. Pandey
(जयश्री पाण्डेय)
अध्यक्ष
नगर पंचायत रेवती
अध्यक्ष
नगर पंचायत रेवती
बलिया

क्रमशः.........2

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी महोदय, बलिया।
2. प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय–बलिया
3. जिलासूचना अधिकारी, बलिया को इस आशय से प्रेषित की कृपया उपरोक्त सूचना का प्रकाशन किसी दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर प्रकाशित समाचार पत्र की अतिक्ति एक प्रति के साथ बिल भुगतान हेतु कार्यालय नगर पचायत रेवती में भेजवाने का कष्ट करें।
4. निदेशक एन.आई.सी. विकास भवन, बलिया को बेवसाइट पर प्रकाशन हेतु।
5. कार्यालय नगर पंचायत रेवती के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
6. गार्ड फाईल।

(कृष्ण कुमार सोनकर)
अधिशासी अधिकारी
नगर पचायत रेवती
बलिया

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत रेवती
बलिया